"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 मार्च 2013—फाल्गुन 11, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिये जारी "राज्य सेवा परीक्षा नियम" की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 27 अगस्त, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. सेवा/पद के श्रेणी के क्रमांक 36. के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"37. अधीक्षक, जिला जेल, द्वितीय श्रेणी"

2. उक्त नियम के उप नियम-2 (एक) में वाक्य "केवल जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण तथा क्षेत्र संयोजक, आदिमजाति कल्याण के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में यह आवश्यक होगा कि मुख्य परीक्षा में से समाज शास्त्र को अपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में लें." को विलोपित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2013

क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 2-3-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

Raipur, the 2nd March 2013

NOTIFICATION

No. F 6-3/2008/1/One.—The Chhattisgarh Government "State Service Examination Rule" makes following further amendment in the notification No. F 6-3/2008/1/One, issued on 27 August, 2008 for the recruitment in different services/post by Chhattisgarh Public Service Commission.

AMENDMENT

In the said rules,—

1. After serial number 36 the heading Class of Service/Post, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namley :—

   "37. Superintendent District Jail Class-II"

2. In Clause (i) of rule 2, the words" Only in the case of Candidates applying for the post of District Organiser, Tribal Welfare and Area Organiser, Tribal Welfare it will be imperative that in the Main Examination they offer "Sociology" as one of their optional papcrs." shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR PINGUA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.